

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 08.12.2023

उद्घोषित: 09.01.2024

रि.या.(सि.) 5142/2013 और सि.वि.आ. 11558/2013

मेसर्स ताबिश एयरवेज

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री महाबीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री गगंदीप शर्मा, सुश्री प्रीति सिंह, श्री अमित नैन, श्री वीरेंद्र कुमार और सुश्री कुम्कुम मानधन्या, अधिवक्तागण

बनाम

उत्प्रवासी महासंरक्षी और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अनिल सोनी, भारत संघ के लिए के.स.स्था.अधि.।

कोरम:

माननीय श्री न्यायमूर्ति नवीन चावला

निर्णय

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 23 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक अपील पर प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (जिसे इसके बाद 'अपीलीय प्राधिकारी' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित दिनांकित 08.03.2013 (जिसे इसके बाद

'आक्षेपित आदेश' के रूप में संदर्भित किया गया है) के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसने बदले में उत्प्रवासी महासंरक्षी (जिसे इसके बाद 'पी.जी.ओ.ई.' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित दिनांकित 24.07.2012 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें याचिकाकर्ता के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया गया है।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 07.06.2005 पर एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के दौरान विदेशी रोजगार के लिए श्रमिकों की भर्ती करने के लिए 'भर्ती के अभिकर्ता' के रूप में काम करने की अनुमति दी गई थी, जो की दिनांकित 06.03.2020 तक थी।

3. 16/19 दिसंबर, 2011 के एक नोटिस द्वारा, पी.जी.ओ.ई. ने याचिकाकर्ता के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का निलम्बन कर दिया और याचिकाकर्ता से कारण बताने के लिए कहा कि निलम्बन के पक्ष में दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के उक्त निलम्बन को क्यों नहीं बढ़ाया जाए। उक्त कारण बताओ नोटिस याचिकाकर्ता के खिलाफ तीन अलग-अलग अभिकथनों पर आधारित था, जो इस प्रकार हैं:

- i. श्रीमती डोममती कलावती से यह बताते हुए शिकायत प्राप्त हुई है कि उनके पति श्री डोममती राजेश को याचिकाकर्ता द्वारा सऊदी अरब के रियाद, में एक चालक के रूप में काम करने के लिए तैनात किया गया था, हालांकि, एक बार जब वह वहां पहुंचे, तो उनके प्रायोजक ने उन्हें अनुबंधित नौकरी के बजाय खेत में चरवाहे के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया और बाद में उनकी प्रायोजक द्वारा 30.10.2011 पर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने उनकी तैनाती / परिनियोजन के लिए बहुत अधिक राशि ली थी।
 - ii. कि याचिकाकर्ता ने पाँच उत्प्रवासियों के लिए उत्प्रवास मंजूरी प्राप्त की थी जिनके वीजा श्रमिक श्रेणी के लिए थे और याचिकाकर्ता ने अपने शपथ पत्र में उनका पेशा श्रमिक श्रेणी के अलावा दिखाया था।
 - iii. कि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस में नामित सात कंपनियों की ओर से उत्प्रवास मंजूरी प्राप्त करने के लिए दस्तावेज निवेदित किए थे, जो ओमान में पंजीकृत भी नहीं थे और उनके टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल आईडी सभी फर्जी और नकली थे।
4. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए प्रतिविरोध किया कि जहां तक सात कंपनियों के नकली होने का अभिकथन है, याचिकाकर्ता को दस्तावेज सीधे विदेशी कंपनियों से प्राप्त हुए थे अन्य बातों के साथ साथ याचिकाकर्ता के पास इन कथित कंपनियों के फोन

नंबर, ई-मेल आईडी, फ़ैक्स आदि की जांच करने का कोई व्यवस्था नहीं था। यह भी कहा गया कि इन कंपनियों में कार्यरत किसी भी कर्मचारी से कोई शिकायत नहीं मिली थी।

5. पी.जी.ओ.ई. ने दिनांकित 24.07.2012 आदेश के माध्यम से यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, याचिकाकर्ता के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को इसे अभ्यर्पण करने का निर्देश दिया।

6. उपरोक्त आदेश से व्यथित याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 23 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की। हालाँकि, उक्त अपील को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांकित 08.03.2013 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।

7. जहां तक पहले आधार का संबंध है, अपीलीय प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के पक्ष में पाई गई अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि श्री डोमती राजेश की हत्या के लिए याचिकाकर्ता को सीधे तौर पर कोई दोष देना मुश्किल होगा, क्योंकि उनके जीवनकाल में किसी भी प्रकार के अभिकथनोंको नहीं लगाया गया था और वास्तव में, यह अभिनिर्धारित किया था कि पी.जी.ओ.ई. भारतीय मिशन द्वारा जांच कर सकता था कि हत्या का मामला सऊदी अरब में दर्ज किया गया था या नहीं, या याचिकाकर्ता यह दिखा सकता था कि परस्पर/वही घटना जो की दस्तावेजों के अनुसार यह एक प्राकृतिक मृत्यु है।

8. जहां तक दूसरे और तीसरे आधार का संबंध है, अपीलीय प्राधिकारी ने अभिनिधारित किया कि याचिकाकर्ता को एक झूठी घोषणा पर पांच व्यक्तियों के लिए उत्प्रवास मंजूरी मिली थी और वह जानबूझकर उन कंपनियों के लिए श्रमशक्ति की भर्ती करने का दोषी था जो अपने स्वदेश में भी पंजीकृत नहीं थीं और इसलिये यह धोखाधड़ी वाली कंपनियां हैं। यह अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता ने प्रवासियों के कल्याण के प्रति बहुत उपेक्षा दिखाई।

याचिकाकर्ता के निवेदन:

9. याचिकाकर्ता ने दूसरे आधार पर अपीलीय प्राधिकारी के निष्कर्ष को चुनौती देते हुए कहा कि जहां तक पांच व्यक्तियों के लिए उत्प्रवास मंजूरी का संबंध है, याचिकाकर्ता ने वास्तव में इन श्रमिकों के लिए आवेदन वापस ले लिया था; इन श्रमिकों ने बाद में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में मंजूरी के लिए आवेदन किया था; और याचिकाकर्ता की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, इसके लिए याचिकाकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उपरोक्त चुनौती के समर्थन में, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त दिनांकित 07.05.2013 के उत्तर का संदर्भ लिया है, जिसमें अन्य बातों के साथसाथ कहा गया था कि जिन पांच आवेदकों के संबंध में अभिकथन लगाया गया था, उन्होंने व्यक्तिगत आवेदकों के रूप में उत्प्रवास मंजूरी प्राप्त की थी।

11. जहां तक सात कंपनियों के अस्तित्व में नहीं होने के तीसरे आधार का संबंध है, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी किसी भी कर्मचारी द्वारा दायर कोई शिकायत दिखाने में असमर्थ रहा है जिसे याचिकाकर्ता द्वारा इन कंपनियों में या उनके किसी भी रिश्तेदार द्वारा याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उन्हें धोखा देने के संबंध में तैनात किया गया था। वह निवेदन करते हैं कि यह प्रत्यर्थीगण का कर्तव्य है कि वह इन कंपनियों की वास्तविकता को सत्यापित करे और इस तरह के भार को याचिकाकर्ता पर नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता केवल वीजा की प्रमाणिकता से संबंधित है। वह निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन पर इन कंपनियों के लिए उत्प्रवास स्वीकृति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वह निवेदन करते हैं कि, इसलिए, प्रत्यर्थी की कार्रवाई असद्भावी है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि अब समय बीतने के साथ, और चूंकि यह याचिका लगभग दस वर्षों से लंबित है, इसलिए याचिकाकर्ता पर आक्षेपित आदेश के आगे के परिणामों का बोझ नहीं होना चाहिए और इसलिए यह अपास्त किए जाने के अधीन है।

प्रत्यर्थी के निवेदन:

13. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यह याचिकाकर्ता का कर्तव्य है, कि वह एक भर्ती के अभिकर्ता के रूप में, कथित विदेशी नियोक्ता(ओं)/कंपनी(ओं) के अस्तित्व और वास्तविकता के बारे में खुद को संतुष्ट करे। वह निवेदन करते हैं कि वर्तमान मामले में, जिन सात कंपनियों के लिए याचिकाकर्ता भारत से श्रमशक्ति की भर्ती कर रहा था, वे वास्तव में नकली और फर्जी/जाली पाई गईं।

14. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता ने पहले विदेशों में कथित अभिकर्ताओं पर आरोप लगाने की कोशिश की, जिनसे उसने कथित रूप से उक्त कंपनियों के संबंध में दस्तावेज प्राप्त किए थे। वे निवेदन करते हैं कि वास्तव में, यह स्वीकारोक्ति, अपने आप में, उत्प्रवास नियम, 1983 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 10 (1) (iii) का उल्लंघन होगी। वह निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा यह उल्लंघन, वास्तव में, अधिनियम की धारा 24 (1)(ग) में परिभाषित के रूप में अपराध बनता है। वह निवेदन करता है कि, इसलिए, आक्षेपित आदेश इस न्यायालय के हस्तक्षेप का हकदार नहीं है।

विक्षेपण और परिणाम:

15. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किये गए निवेदनों पर विचार किया है।

16. रोजगार उद्देश्यों के लिए भारत से कुशल और अकुशल श्रमिकों के बाहर(दूसरे देशों में) निकलने के साथ, यह महसूस किया गया कि श्रमिकों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उन्हें सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। भर्ती के अभिकर्ताओं के साथ-साथ विदेशों में नियोजकों द्वारा उनका शोषण किया जाता था। इससे परिणाम उत्प्रवास अधिनियम, 1922 को प्रख्यापित किया गया, जिसका उद्देश्य समस्याओं को कम करना और कुशल और अकुशल श्रमिकों के उत्प्रवास को विनियमित करना था।

17. भारत से कुशल और अकुशल श्रमिकों के बहिर्वाह में जबरदस्त उछाल और सरकार और आम जनता दोनों की बढ़ती चिंताओं के साथ, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 को लागू किया गया था। अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि इसका उद्देश्य विदेशी में रोजगार के नियमों और शर्तों को विनियमित करना है और अनुबंध के आधार पर रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीय श्रमिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है।

18. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, एक विदेशी नियोक्ता किसी भी देश में रोजगार के लिए भारत के किसी भी नागरिक की भर्ती या तो "पंजीकृत भर्ती के अभिकर्ता" द्वारा या सीधे, सक्षम प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के बाद कर सकता है। धारा 2 (1)(1) में 'भर्ती के अभिकर्ता' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित करती है:-

"2. परिभाषाएँ।—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा आपेक्षित नहो, -

XXXXXX

(च) "भर्ती करने वाला अभिकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी नियोजक के लिए भर्ती करने के व्यवसाय में भारत में लगा हुआ है और ऐसी भर्ती के संबंध में जिसमें इस प्रकार भर्ती किए गए या जाने की इच्छा करने वाले व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना सम्मिलित है ऐसे नियोजक का प्रतिनिधित्व करता है;

19. उत्प्रवास नियम, 1983 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 5 से यह भी पता चलता है कि 'भर्ती अभिकर्ता' विदेशी नियोजक के प्रतिनिधि और अधिवक्ता के रूप में कार्य करता है। नियम 5 यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"5. नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाला भर्ती का अभिकर्ता.--

(1) नियोजक अधिनियम के प्रावधानों के तहत रजिस्ट्रीकृत भारत में भर्ती के अभिकर्ता को अधिकृत कर सकता है, भर्ती के अभिकर्ता के पक्ष में निष्पादित मुख्तारनामा के द्वारा अधिकृत करके जो उसकी ओर से व्यक्तियों की भर्ती के प्रयोजनों के लिए भर्ती के अभिकर्ता है।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट मुख्तारनामा भर्ती किए गए कर्मचारी के रोजगार अनुबंध की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, भले ही ऐसे भर्ती के अभिकर्ता का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उस अवधि से पहले विधिमान्य न रह जाए।

20. अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान है कि सिवाय एक भर्ती के अभिकर्ता द्वारा या उसकी ओर से जारी विधिमान्य अनुज्ञापत्र के अनुसार, कोई भी

नियोजक भारत के किसी भी नागरिक को भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान पर रोजगार के लिए भर्ती नहीं करेगा, इसलिए, अधिनियम के तहत भर्ती प्रक्रिया केवल नियोजक की ओर से या स्वयं नियोजक द्वारा भर्ती के अभिकर्ता द्वारा शुरू की जा सकती है। यह फिर से उस भूमिका पर जोर देता है जो एक भर्ती अभिकर्ता भारत से विदेश में श्रमिकों के रोजगार में निभाता है।

21. अधिनियम की धारा 22(1) भारत के किसी नागरिक को तब तक प्रवास करने से रोकती है जब तक कि वह पी.जी.ओ.ई. से प्रवास के लिए अनुमति प्राप्त नहीं करता है। इस तरह का आवेदन उस भर्ती के अभिकर्ता के माध्यम से किया जा सकता है, जिस माध्यम से उत्प्रवासी की भर्ती की गई है, या संबंधित नियोजक के माध्यम से किया जा सकता है।

22. उपरोक्त प्रावधानों से पता चलता है कि एक 'भर्ती का अभिकर्ता' विदेश में भारतीय कर्मचारी की भर्ती / रोजगार के संबंध में किसी भी मामले के संबंध में एक नियोजक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें इस तरह से भर्ती किए गए या इस तरह से भर्ती होने के इच्छुक या वांछा रखने व्यक्तियों के साथ व्यवहार भी शामिल है। इसलिए, नियोजक के प्रतिनिधि के रूप में, भर्ती का अभिकर्ता अधिकार का दावा नहीं कर सकता है या अज्ञानता का अनुरोध नहीं कर सकता है जब यह पाया जाता है कि ऐसा

नियोजक वास्तव में एक गैर-मौजूद इकाई था।

23. अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाण पत्र के बिना भर्ती के अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा। अधिनियम की धारा 10 को यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“10. विधिमान्य प्रमाणपत्र के बिना कोई भी व्यक्ति भर्ती करने वाले अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा।—इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, भर्ती करने वाला कोई भी अभिकर्ता, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा उस निमित्त जारी किये गए किसी प्रमाणपत्र के अधीन और उसके अनुसार ही भर्ती का कारोबार प्रारंभ करेगा या करेगा, अन्यथा नहीं:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्वभर्ती करने अभिकर्ता का कारोबार करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे किसी प्रमाणपत्र के बिना ऐसे प्रारम्भ से एक माह की अवधि तक निरंतर करता, और यदि उसने एक माह की उक्त अवधि के भीतर इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रमाणपत्र के लिए कोई आवेदन किया है और ऐसा आवेदन विहित प्रारूप में है तथा उसमें विहित विशिष्टियां हैं, तो ऐसे आवेदन का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा निपटारा किये जाने तक, ऐसा कारोबार करता रह सकेगा।”

24. अधिनियम की धारा 11 एक भर्ती के अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए बुनियादी पात्रता मानदंड प्रदान करती है। इसमें आवेदक की वित्तीय मजबूती, विश्वसनीयता और पूर्ववृत्त पर जोर दिया गया है। धारा 11 की उपधारा (1) नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:-

“11. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।— (1) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप में किया जाएगा और उसमें आवेदक की वित्तीय सुदृढता, विश्वसनीयता, परिसर जिसमें वह अपना कारोबार करने का आशय रखता है, भर्ती करने के लिए उसके पास सुविधाओं, उनके पूर्ववृत्त (जिनके अतर्गत इसके सम्बंध में सूचना भी है कि क्या इस अध्याय के अधीन उसे पहले कोई प्रमाणपत्र जारी किया गया था और यदि किया गया था तो क्या ऐसा प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था) और भर्ती के बारे में उसके पूर्व अनुभव तथा अन्य सुसंगत बातों के बारे में ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो विहित की जाएं, और साथ में विहित फीस के संदाय के साक्ष्यरूप एक रसीद और उसकी चालू वित्तीय स्थिति बताने वाला एक शपथपत्र और विहित प्रारूप में इस आशय का एक वचनबंध संगलन होगा की रजिस्ट्रीकरणके लिए आवेदन में या उसके साथ दी गई किसी सूचना के किसी भी प्रकार से मिथ्या या असत्य पाए जाने की दशा में प्रमाणपत्र विहित प्रकिया के अनुसार किसी भी समय रद्द किया जा सकेगा:

परन्तु धारा 14 की उपधारा (6) के अधीन निर्द्धारित किसी व्यक्ति से इस उपधारा के अधीन कोई भी आवेदन ऐसी निरर्हता की अवधि समाप्त होने तक ग्रहण नहीं किया जाएगा...

25. रजिस्ट्रीकरण की 'शर्तें और नियम' नियमों के नियम 10 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक को प्रत्येक नियोजक के लिए अलग-अलग फ़ोल्डर के रूप में अभिलेख बनाए रखना होगा, जिसमें नियोजक से मूल मांग पत्र, भर्ती अभिकर्ता के पक्ष में जारी किए गए मुख्तारनामा और उनके बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार का विवरण शामिल होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियोजक वास्तविक है और भर्ती के अभिकर्ता ऐसे नियोक्ता की ओर से काम कर रहा है, क्योंकि वह ऐसे नियोजक के लिए

काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के बारे में खुद को संतुष्ट कर चुका है। नियमों का नियम 10, जहाँ तक प्रासंगिक है, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“10. प्रमाण पत्र की नियम और शर्तों-1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन होंगे-

xxxxxx

(ix) प्रमाणपत्र धारक अपने कारोबार के स्थान पर निम्नलिखित अभिलेखों को बनाए रखेगा और उन्हें उत्प्रवासी महासंरक्षी संरक्षक या उत्प्रवासी संरक्षक के मांगने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा,-

(क) भर्ती किए गए उत्प्रवासियों से शुल्क प्राप्ति का रजिस्टर, एक मूल भुक्तान सूची के रूप में जिसमें प्रत्येक उत्प्रवासी के हस्ताक्षर शामिल हैं जिनसे शुल्क प्राप्त किया गया है। प्रत्येक ऐसा रजिस्टर भर्ती की मांग के संदर्भ में होगा। रजिस्टर को स्थायी अभिलेखों के रूप में बनाए रखा जाएगा;

(ख) राशि का रजिस्टर और अभिलेख और नियोक्ताओं से प्राप्त पूर्व-भुगतान टिकट/मूल्य सूची सलाह के साथ उनकी फोटो प्रतियां, मांग के अनुसार पहचानी गईं;

(ग) एक रजिस्टर जिसमें उत्प्रवासियों की भर्ती पर किए गए व्यय का ब्यौरा हो और मांग के अनुसार दस्तावेजों द्वारा समर्थित हो;

(घ) प्रत्येक नियोजक के लिए अलग-अलग फ़ोल्डर जिनकी श्रम की मांगों को प्रमाणपत्र धारक ने संसाधित किया है, संसाधित करने का प्रस्ताव रखा है या संसाधित कर रहा है;

(ङ) प्रमाण पत्र धारक द्वारा भर्ती किए गए प्रत्येक उत्प्रवासी का जीवनवृत्त;

(च) प्रत्येक उत्प्रवासी के रोजगार अनुबंधों कीज प्रतियां जो उत्प्रवासियों के संरक्षक द्वारा प्रमाणित की गई हों;

(छ) नियोजनकर्ताओं के साथ मूल मांग पत्र, मुख्तारनामा और पत्राचार;

(ज) उत्प्रवासियों की भर्ती से संबंधित सभी दस्तावेज, जिनमें जारी किए गए सभी विज्ञापनों की कार्यालय प्रतियां, साक्षात्कार पत्र और आवेदकों के साथ पत्राचार, चयन के लिए जाने वाले मूलप्रदान किए गएपत्र, चयन प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों के नाम औरपते, नियुक्तिपत्रों की प्रतियां, व्यापार-परीक्षण विवरण;

(झ) ब्लॉक और व्यक्तिगत वीजा का अलग-अलग विवरण देते हुए नियोजनकर्ताओं से प्राप्त वीजा का एक रजिस्टर;

(ञ) प्रमाण पत्र धारक द्वारा भर्ती किए गए उत्प्रवासियों या उनके आश्रितों द्वारा किए गए सभी मुआवजों (चोट या मृत्यु सहित) के दावों का रजिस्टर जिसमें उत्प्रवासी का नाम, पता, प्रवास संख्या, रोजगार का देश, मुआवजे की प्रकृति (दावा करने वाली परिस्थितियों के संबंध में विवरण सहित), प्राप्तकर्ताओं का पता और नियोक्ता का नाम और पता, और मुआवजे का भुगतान किए जाने के प्रमाण के रूप में मूल रसीद दी गई हो; और

(ट) ऐसे अन्य अभिलेख जिन्हें पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है।

XXXXX

(XIV) प्रमाण पत्र धारक को-

(ए) भर्ती से पहले इच्छुक उत्प्रवासियों को अनुबंध की शर्तों सहित रोजगार का विवरण प्रदान करेगा;

(बी) रोजगार के देश में नियोक्ता द्वारा उत्प्रवासियों का उचित स्वीकृति सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा;

- (ग) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि रोजगार के बाद, नियोक्ता रोजगार अनुबंध की शर्तों में बदलाव नहीं करेगा;
- (घ) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना कि नियोक्ता रोजगार के देश में उत्प्रवासी के ठहरने को अधिकृत करने वाले दस्तावेजों के नवीनीकरण के लिए समय पर कार्रवाई करे,
- (ङ) नियोजक और उत्प्रवासी के बीच विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान की सुविधा प्रदान करना;
- (च) उत्प्रवासी से प्राप्त भुगतान के लिए रसीद जारी करें;
- (छ) केवल ऐसे विज्ञापन जारी करें जो वास्तविक और तथ्यात्मक रूप से सही हों और इस संबंध में किसी भी प्रलोभन या गलत निरूपण से बचें;
- (ज) सभी विज्ञापनों की प्रतियां उनके प्रकाशन या लोकार्पण के तुरंत बाद उत्प्रवासी महासंरक्षी को फाइल करें।”

26. अधिनियम की धारा 14 रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को इस आधार पर भर्ती के अभिकर्ता के पक्ष अन्य बातों के साथ साथ दिए गए रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द करने का अधिकार देती है कि प्रमाण पत्र का धारक प्रमाण पत्र को जारी रखने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। अधिनियम की धारा 14 यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:-

“14. प्रमाणपत्र का रद्दकरण, निलंबन, इत्यादि—(1)
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी किसी प्रमाणपत्र को निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर रद्द कर सकेगा किन्तु किसी अन्य आधार पर ऐसा नहीं कर सकेगा, अर्थात्:—

- (क) यह कि उस रीति को, प्रमाणपत्र धारक ने अपना जिस तरह से अपना कारोबार किया है या उसकी वित्तीय स्थिति में हुई किसी गिरावट को भर्ती के लिए उसके पास उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वह प्रमाणपत्र

धारक प्रमाणपत्र धारण करते रहने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है;

(ख) यह कि प्रमाणपत्र धारक ने उत्प्रवासियों को भारत के हितों पर प्रतिकूलप्रभाव डालने वाले प्रयोजनों के लिए या लोकनीति के प्रतिकूल प्रयोजनों के लिए भर्ती किया है;

(ग) यह कि प्रमाण पत्र धारक को, प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के पश्चात, भारत में किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वर्तित है;

(घ) यह कि प्रमाणपत्र को, प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के पश्चात भारत में किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम, उत्प्रवास 1922 (1922 का 7), या पासपोर्ट, विदेशी मुद्रा ओषधि, स्वापक पदार्थ या तस्करी से संबंधित किसी अन्य कानून के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और उसके संबंध में उसे कम से कम छह मास का कारावास दिया गया है;

(ङ) यह कि प्रमाणपत्र किसी भी तात्त्विक तथ्य के दुर्यपदेशन द्वारा या उसे दबाकर जारी किया गया है या उसका नवीकरण किया गया है;

(च) यह कि प्रमाणपत्र धारक ने प्रमाणपत्र के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया है;

(छ) यह कि केन्द्रीय सरकार की राय में किसी भी विदेश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में सर्वसाधारण के हित में प्रमाणपत्र का रद्द करना आवश्यक है।

(2) जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, का लेखबद्ध किए जानेवाले कारणों से यह समाधान हो जाता है कि किसी प्रमाणपत्र को उपधारा (1) में वर्णित किसी आधार पर रद्द करने के प्रश्न पर विचार लम्बित रहने तक ऐसाकरना आवश्यक है, वहाँ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा, प्रमाणपत्र का

प्रवर्तन तीस दिन से अनधिक की ऐसी अवधि की ऐसी अवधि के लिए निलम्बित कर सकेगा जो आदेश में विहित की जाए और प्रमाणपत्र धारक से ऐसे आदेश, की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा कर सकेगा की प्रमाणपत्र के निलम्बन को इस प्रश्न का अवधारण किए जाने तक क्यों नहीं बढ़ा दिया जाए की प्रमाणपत्रको रद्द क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए

(3) इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए प्रमाणपत्र धारक को दोषसिद्ध करने वाला न्यायालय भी प्रमाण पत्र रद्द कर सकेगा:

परन्तु यह की यदि दोषसिद्धि को अपील में या अन्यथा अपास्त कर दिया जाता है तो उपधारा (3) के अधीन रद्दकरण शून्य हो जाएगा।

(4) किसी प्रमाणपत्र के रद्दकरण का आदेश, अपील न्यायालय द्वारा या पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय द्वारा उपधारा (3) के अधीन किया जा सकेगा।

(5) प्रमाणपत्र को रद्द करने या निलंबित करने वाला कोई आदेश पारित करने से पूर्व यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या न्यायालय उन उपबंधों और व्यवस्थाओं से संबंधित प्रश्न पर विचार करेगा जो उत्प्रवासियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के जिनके साथ प्रमाणपत्र धारक का भर्ती करने वाले अभिकर्ता के रूप में अपने कारोबार में अनुक्रम में कोई संव्यवहार रहा है हितों की सुरक्षा के लिए की जाएं और ऐसे आदेशकर सकेगा (जिनके अंतर्गत वे आदेश भी हैं जो ऐसे उत्प्रवासियों और अन्य व्यक्तियों में से सभी या किसी के संबंध में अपने कारोबार को करना जारी रखने के लिए प्रमाणपत्र धारक को अनुज्ञात करते हैं) जो वह इस निमित्त आवश्यक समझे।

(6) जहां किसी व्यक्ति को जारी किया कोई प्रमाणपत्र इस धारा के अधीन रद्द कर जाता है, वहाँ ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दूसरे प्रमाणपत्रके लिए ऐसे रद्दकरण की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने तक आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।”

27. अधिनियम की धारा 24 में अधिनियम के तहत अपराधों और दंडों को परिभाषित किया गया है। धारा 24 की उप-धारा (1) नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:-

“24. अपराध और शास्तियां—

(1) जो कोई -

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार के सिवाय उत्प्रवास करेगा; या

(ख) धारा 10 या धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा; या

(ग) साशयकोई मिथ्या सूचना देकर या कोई तात्विक सूचना छिपाकर इस अधिनियम के अधीन के अधीन कोई प्रमाणपत्र या अनुज्ञापत्र या उत्प्रवास निकासी के रूप में कोई परिवर्तन करेगा; या

(घ) विधिपूर्ण प्राधिकारी के बिना प्रमाणपत्र या अनुज्ञापत्र या दस्तावेज या पृष्ठांकन में इस अधिनियम के अधीन जारी की गई उत्प्रवास निकासी के रूप में कोई परिवर्तन करेगा या करवाएगा; या

(ङ) इस अधिनियम के अधीन उत्प्रवासी संरक्षी के आदेश का अनुपालन करने में अवज्ञा या उपेक्षा करेगा; या

(च) उत्प्रवासी से इस अधिनियम के अधीन विहित सीमा से अधिक प्रभार लेगा; या

(छ) किसी उत्प्रवासी से छल करेगा;

वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा: परन्तु ऐसे किन्हीं विशेष और यथायोग्य कारणों के अभाव में, जिनका वर्णन न्यायालय में निर्णय में किया जाएगा, ऐसा कारावास छह मास से कम का न होगा और ऐसा जुर्माना एक हजार रूपए से कम का न होगा....”

28. अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान एक भर्ती के अभिकर्ता की भूमिका और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हैं। उनका कार्य न केवल नियोक्ता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना है, बल्कि उत्प्रवासियों / श्रमिकों के लिए एक संरक्षक के रूप में भी कार्य करना है। इसलिए, भर्ती के अभिकर्ता को यह प्रतिवाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसका नियोक्ता की पूर्ववृत्तियों की जांच आदेश का कोई कर्तव्य नहीं है और ऐसा कर्तव्य केवल पी.जी.ओ.ई. के पास होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पी.जी.ओ.ई. को अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त आदेश के लिए, यानी रोजगार के उद्देश्य से विदेशी भूमि पर उत्प्रवास आदेश के इच्छुक भारत के नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा आदेश के लिए, ऐसे किसी भी भर्ती के अभिकर्ता द्वारा किए गए आवेदन की जांच आदेश के अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, साथ ही, भर्ती के अभिकर्ता केवल पी.जी.ओ.ई. पर ही सारा बोझ डाल कर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता है। भर्ती के अभिकर्ता द्वारा की गई कोई भी झूठी घोषणा, अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को ऐसे भर्ती अभिकर्ता को दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित और रद्द करने के लिए अधिकृत करेगी।

29. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थागण का अभिकथन है कि जिन कंपनियों के लिए याचिकाकर्ता ने एक भर्ती के अभिकर्ता के रूप में काम किया, उनमें से सात अस्तित्व में नहीं पाई गईं, क्योंकि वे ओमान में पंजीकृत नहीं थीं और इन कंपनियों के दिए गए टेलीफोन नंबर, ई-मेल आईडी, फैक्स आदि अस्तित्व में नहीं पाए गए थे। याचिकाकर्ता इस दावे पर प्रख्यान नहीं करता है, बल्कि केवल ओमान में भारतीय दूतावास पर इन कंपनियों / नियोक्ताओं की प्रामाणिकता की जांच करने की जिम्मेदारी डालना चाहता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, ऐसा बचाव याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता गैर-मौजूद संस्थाओं के अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था। याचिकाकर्ता इस तरह के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अज्ञानता का नाटक नहीं कर सकता है, और न ही वह पूरे दोष को पी.जी.ओ.ई. के ऊपर डाल सकता है; उसे अपने कृत्यों के परिणामों का सामना करना चाहिए, जो वास्तव में धोखाधड़ी से संबंधित हैं। इसका बचाव कि उसने किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों पर काम किया था, यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिनियम और नियमों के तहत, नियोक्ता की पूर्ववृत्तियों को सत्यापित करने की प्रमुख जिम्मेदारी केवल याचिकाकर्ता पर है।

30. याचिकाकर्ता के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए लिया गया तीसरा आधार आक्षेपित कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त था।

31. यहां तक कि दूसरे आधार के लिए भी, भले ही याचिकाकर्ता ने संबंधित आवेदकों के लिए दायर आवेदनों को वापस ले लिया हो, लेकिन यह फिर से आवेदक की ओर से एक गंभीर चूक को दर्शाता है। हालाँकि, मुझे इस आधार पर अधिक विस्तार में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें न केवल तथ्य के विवादित प्रश्न की संवीक्षा और साक्ष्य का मूल्यांकन शामिल होगा, बल्कि इसलिए भी कि मैं पाता हूँ कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अपना रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आरोप लगाया गया तीसरा आधार याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरी तरह से स्थापित था।

32. किसी भी स्थिति में, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है; यह केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने और यह परीक्षण करने के लिए है कि क्या लिया गया निर्णय मनमाना, सनकी या अनुचित है। इन मापदंडों पर परीक्षण करने पर, मैंने पाया कि याचिकाकर्ता आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप का मामला बनाने में असमर्थ रहा है।

निष्कर्ष:

33. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मुझे वर्तमान याचिका में कोई गुणागुण नहीं मिलती है। तदनुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है। लंबित आवेदन का

भी निपटारा कर दिया गया है। याचिकाकर्ता आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थागण को रु. 25,000/- की लागत का भुगतान करेगा।

न्या. नवीन चावला

जनवरी 9, 2024/एनएस/एसएस/एस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण :देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।